

यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
फौजदारी वाद संख्या— 916 सन 2022

11.10.2022

आज अभियुक्त की ओर से जुर्म इकबाली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयां बयान उपरोक्त अंकित किये गये। अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया। आज प्रस्तुत दस्तावेजों व जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 185 एम0वी0 एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 185 एम0वी0 एक्ट में मु0 10000—/रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(संजीव कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।